

ब
म

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

24/9/24 पत्रावली पेश डायी / वहील डायरी
इका वाले जोर रिपोर्ट दिनांक 14/11/24
का पत्र था

SDO

14/11/24
रजवाली पेशी से पेश
12/12/24 अगिलापक्ष मण्डल से कार्य
स्थगित किया है। दिनांक 7/2/24
को पेश हो 2 SDO.

21/2/24
पीठासीन अधिकारी के नाम में
व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 4/3/24
को पेश हो।
कीबर

4/3/24
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में
व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 20/6/24
को पेश हो।

20/06/25 पत्रावली आज पेश हुई। 7012
से रिपोर्ट प्राप्त जो शा. प्रि. हो 7010 रिपोर्ट
में उल्लेख है कि आराजी रज सं. 381, 381/503
436 का ध्यान कर नामांतरण अरविन्द
कुमार जैन से वासुदेव सिंह पुत्र मूलसिंह
आराज पुत्रीमखिन हो वद नामांतरण
सं. 418 दि. 21/7/24 को स्वीकार होकर रज
रिकार्ड हो गया है। इसलिए अरवी-कुमार
जैन रजवाली हकदार भी वासुदेव सिंह
के नाम रज है। ध्यान दे। इसलिए
शा. पत्र में अरविन्द कुमार जैन
का कोई उल्लेख नहीं रहा है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील में
जारी हुए।

हाफ गौर रिमाई हाजा - प्राथमिक
में ओउवानी फकरण वासुदेव सिंह
हनाम सरकार का प्रा. पत्र द्वारा 128
का स्वीकार होकर दि. 7/5/25 को
स्वीकार हो चुका है। उमालिए चट
प्रा. पत्र पूर्ण खरीज किया जाना
उचित उचित होता है। पूर्णता
पत्र खरीज किया जाता है।
पगापती मन्दा से कर होकर हाफ
उक्ति जमा लेख खण्ड है।

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
मिना-अलवर